

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-39/2020-21

शिवावती कुमारी प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य द्वितीय पक्ष

आदेश


आवेदिका शिवावती कुमारी, पति- राजेश कुमार चौधरी, साकिन- बडकी सरिया, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या **115 R27/2020-21** में पारित आदेश के विरुद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :-

| मौजा | थाना नं० | खाता नं० | प्लॉट नं० | रकबा |
|------------|----------|----------|-----------|----------|
| बडकी सरिया | 44 | 96 | 1295 | 8.65 डी० |
| बडकी सरिया | 44 | 14 | 1296 | 0.7 डी० |


अभिलेख में संलग्न अंचल कार्यालय सरिया के दाखिल खारिज वाद संख्या **115 R27/2020-21** में दिनांक 21.10.2020 को पारित आदेश उल्लेख किया गया है कि हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण वाद को खारिज किया गया है। आवेदिका द्वारा न्यायालय में कारण पृच्छा दाखिल कर जमीन संबंधी कागजात उपलब्ध कराया गया है।

तदनुसार अंचल अधिकारी, सरिया को remand किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि उक्त वाद में पुनः नये सिरे से सुनवाई करते हुए समुचित आदेश पारित करेंगे। आवेदक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सभी document को upload करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।


17.2.21

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)


17.2.21

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)